FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

खीमाराम बनाम चौखाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा.का.अ. 88, 53, 188 नं. 21 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.2.18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम भाकर ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14.2.18 को पेश हो।	
14/02/18	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण द्वारा वकालातनामा व ईस्बाले जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 10 को वादी वकील द्वारा तर्क किया गया जिनसे किसी प्रकार की कोई ईल्तजा नहीं चाही गई है प्रतिवादी संख्या 11 व 12 बावजूद तामील शुदा न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, प्रतिवादी संख्या 11 व 12 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के	प्रतिवादी से 2-10 तक से वादीगण किसी इल्तजा नहीं चाही ऐसे प्रति. 2-10 को तर्क किया जावें। मोटाराम चौखाराम अंगुठा

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner

के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है,
वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं
PW-1 खींयाराम पुत्र चौखाराम जाति जाट निवासी
रामपुरा (बायतू) तहसील बायतु जिला बाड़मेर व
DW-1 चौखाराम पुत्र पीराराम जाति जाट निवासी
रामपुरा (बायतू) तहसील बायतु जिला बाड़मेर व
DW-2 सरूपाराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी
बायतू तहसील बायतु जिला बाड़मेर के शपथ पत्र
पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
वादी व प्रतिवादी साक्ष्य और पेश नहीं करना चाहते है
दोनो पक्षो के साक्ष्य बन्द किये जाते है।

वादी व प्रतिवादी वकील की बहस सुनी
गई, वादी वकील द्वारा विवादित आराजी मौजा रामपुरा
(बायतू) के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 1631, 1632 रकबा
क्रमशः 0.05, 116.00 बीघा व मौजा सांईयो का तला
(बायतू) खसरा नम्बर 1662 रकबा 54.13 बीघा तथा
मौजा चौखाणियों का तला (भीमडा) के खेत खसरा
नम्बर क्रमशः 55, 56 रकबा क्रमशः 11.17, 67.13
बीघा की भूमी में वादीगणो को 1/9 हिस्सा की भूमि
का प्रतिवादीगण संख्या 1 के साथ सहखातेदार करार
घोषित किया जावे का निवेदन किया गया। प्रतिवादी
वकील द्वारा इकबालिया जवाबदावा पेश कर वादीगणों
का 1/9 हिस्सा होना स्वीकार किया गया तथा वादी
व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के शपथ पत्रो
में भी वादीगणों का 1/9 हिस्सा होना स्वीकार किया
गया।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर
विवादित आराजी मौजा रामपुरा (बायतू) के खेत
खसरा नम्बर क्रमशः 1631, 1632 रकबा क्रमशः 0.05,
116.00 बीघा व मौजा सांईयो का तला (बायतू)
खसरा नम्बर 1662 रकबा 54.13 बीघा तथा मौजा
चौखाणियों का तला (भीमडा) के खेत खसरा

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नम्बर क्रमशः 55, 56 रकबा क्रमशः 11.17 व 67.13 बीघा की भूमि में वादीगणों को 1/9 हिस्सा की भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 के साथ सह-खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें, अन्तिम डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।	
	सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

Jud/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. श्री खेताराम चौहान R.A.S. मुकाम बायतु

इजलास खींयाराम बनाम चौथाराम वगैरा

दावा बाबत रा० वाद 88/188 RTAct

मुकदमा नं. 21/18 सन् 2018

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू न्यायालय व हाजरी श्री खेताराम जाखड़ एड० मिनजानिब मुदई व श्री धामण्डाराम जाखड़ एड० मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती हैं कि वादीगणों का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा-रामपुरा (बायतु) के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 1631, 1632 रकबा क्रमशः 0.05, 116.00 बीघा व मौजा-सांईयों का तला (बायतु) खसरा नम्बर 1662 रकबा 54.13 बीघा तथा मौजा-चौथाणियों का तला (गिड़ा) के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 55, 56 रकबा क्रमशः 11.17, 67.13 बीघा की भूमि में वादीगणों को प्रतिवादिगण संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

कौम ✓ मुबलिंग ✓ बाबत ✓

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ✓ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक ✓ को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 02 2018 को जारी की गई।

दस्तखत [signature]
सहायक कलक्टर (SDO)
ओहदा बायतु

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराल हुकमनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराज हुकमनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजाना		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner